न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 314/2025 दायर दिनाँक 19.03.2025

वादी

1.राजवीर पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी धीजपुरा तहसील जायल जिला नागौर राज.। **बनाम्**

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री अशोक भाकर एडवोकेट वादी।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक 15.01.2026

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 574/1655 रकबा 0.0300 है. वाके शरहद खाटुखुर्द पटवार हल्का खाटुखुर्द तहसील छोटीखाटू में अवस्थित है। उक्त भूमि पूर्व में बीरू देवी पत्नी देवाराम जाति जाट निवासी खाटूखुर्द के एकल खातेदारी में दर्ज था। जिसके पुराने खसरा नम्बर 1748/1271 रकबा 03 बीघा थे। उक्त बीरू देवी से वादी व वादी के पिता श्रीराम आवंला द्वारा संयुक्त रूप से पुराने खसरा नम्बर 1748/1271 में से 04 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 05.09.2014 को खरीद की गई है जिस खरीद सुदा 04 बिस्वा भूमि के अलग खसरा नम्बर 574/1655 बने। जिस वादी व उसके पिता का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा। जिसके पश्चात् दिनांक 19.12.2022 को उक्त भूमि वादी के पिता श्रीराम ने खसरा नम्बर 574/1655 में से अपने हक हिस्से की भूमि वादी के पक्ष में जरिये गिफ्ट डीड बख्शीश कर दी, जिससे उक्त सम्पूर्ण 04 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादी अकेले के नाम दर्ज हो गई। वादी का खेत खसरा नम्बर 574/1655 खरीद के समय पुर्व में राजस्व नक्शा में नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ स्थान पर दर्शित था, मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से आज भी मार्क ए बी सी डी ई एफ स्थान पर है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय वादी के खेत मार्क ए बी सी डी ई एफ पर सहवन से राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 2067/574 की भूमि दर्शित कर दी तथा वादी के खातेदारी के खसरा नम्बर 574/1655 को राजस्व नक्शा से हटा दिया है जो राजस्व नक्शा में कहीं पर भी दर्शित नहीं है। जिससे वादी के जायज अधिकार खतरे में पड गये हैं तथा वादी को भविष्य में कई समस्याओं की सामना करने की आशंका है। जबकि मौके पर वास्तविक व भौतिक रूप से वादी का खेत नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी ई एफ स्थान पर ही अवस्थित है। इसलिए वादी को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ स्थान पर खसरा नम्बर 574/1655 राजस्व नक्शा में दर्शित करवाने हेतु दा[illegible] रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वादी का वर्तमान खेत खसरा नम्बर 574 / 1655 रकबा 0.0300 है. को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ स्थान पर राजस्व नक्शा में अंकन कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक भू.अ / 2025 / 2185 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार वादी राजवीर पुत्र श्रीराम जाति जाट सा. धीजपुरा तहसील जायल के नाम ग्राम खाटुखुर्द की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खसरा नम्बर 574 / 1655 रकबा 0.0300 है. दर्ज है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर ऑनलाईन भू–नक्शा में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। वादी के नाम उक्त खसरा नम्बर भू–प्रबन्ध की मूल शीट सन् 2009 में उक्त खसरा नम्बर मौके पर वादी का कब्जा अनुसार ही तरमीम है। भू–प्रबन्ध की शीट में भू–नक्शा ऑनलाईन करते समय सहवन से खसरा नम्बर 574 / 1655 के स्थान पर खसरा नम्बर 2067 / 574 की तरमीम की गई है खसरा नम्बर 2067 / 574 के स्थान पर सहवन से खसरा नम्बर 574 की तरमीम की गई है जो जमाबन्दी में खसरा नम्बर दर्ज नहीं है एवं न ही उक्त खसरा नम्बर भू–प्रबन्ध की मूल शीट में है। ऑनलाईन भू–नक्शा ग्राम खाटूखुर्द में वादी के खसरा नम्बर 574 / 1655 की तरमीम खसरा नम्बर 2067 / 574 के स्थान पर खसरा नम्बर 2067 / 574 की तरमीम खसरा नम्बर 574 के स्थान पर भू–प्रबन्ध की मूल शीट अनुसार किया जाना न्यायोचित है। मुताबिक जमाबंदी , भू–प्रबन्ध की मूल शीट एवं खातेदारों का मौके पर कब्जा अनुसार उक्त खसरा नम्बरों की रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय वादी के खेत मार्क ए बी सी डी ई एफ पर सहवन से राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 2067 / 574 की भूमि दर्शित कर दी तथा वादी के खातेदारी के खसरा नम्बर 574 / 1655 को राजस्व नक्शा से हटा दिया है जो राजस्व नक्शा में कहीं पर भी दर्शित नहीं है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम खाटूखुर्द के खेत खसरा संख्या 574 / 1655 रकबा 0.0300 है. भूमि को नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी ई एफ दर्शित अनुसार दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भू–नक्शा ऑनलाईन करते समय सहवन से खसरा नम्बर 574 / 1655 के स्थान पर खसरा नम्बर 2067 / 574 की तरमीम की गई है खसरा नम्बर 2067 / 574 के स्थान पर सहवन से खसरा नम्बर 574 की तरमीम की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभापक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

मौजा ग्राम खाटूखुर्द पटवार हल्का खाटूखुर्द तहसील छोटीखाटू के खेत खसरा नम्बर 574 / 1655 रकबा 0.0300 है. एवं खसरा संख्या 2067 / 574 की तरमीम

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट मे प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार किता जमाबन्दी रेकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

तहसीलदार छोटीखाटू के पत्रांक भू.अ/2025/2186 दिनांक 28.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(विकास मोहन भाटी I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **15.01.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested